



AN ISO-9001:2015
& ISPS COMPLIANT
PORT

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट
COCHIN PORT TRUST
यातायात विभाग

TRAFFIC DEPARTMENT
Willington Island, Cochin – 682 009

Phone: +91 (484) 2582200
Fax: +91 (484) 2666418
e-mail: tm@cochinport.gov.in
www.cochinport.gov.in

SAGARMALA

संख्या/संख्या ए1/376/कूज/व्यापार सूचना/2021-टी

दि.19.07.2021

व्यापार सूचना संख्या 11/2021

विषय: भारत में कूज जहाजों के लिए टैरिफ का युक्तिकरण।

कूज शिपिंग व्यवसाय, जो कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है, को सहायता प्रदान करने हेतु पोत परिवहन मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या एसडब्ल्यू-15011/2/2020-एमजी(सी.संख्या.338503) दि. 31.05.2021 में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कूज जहाजों के लिए टैरिफ के युक्तिकरण का विस्तार करने का निर्णय लिया है: -

- एक कूज शिप के लिए पोर्ट शुल्क पहले 12 घंटों के ठहराव के लिए \$0.085 प्रति जीआरटी (फिक्स्ड रेट) और \$ 5 प्रति यात्री (हेड टैक्स) लिया जाएगा। पोर्ट कोई अन्य दरें जैसे बर्थ किराया, पोर्ट बकाया, पाइलटेज और यात्री शुल्क आदि नहीं लेगा।
- 12 घंटे से अधिक ठहराव की अवधि के लिए, कूज जहाजों पर निर्धारित शुल्क दरमान के अनुसार देय बर्थ किराया शुल्क के बराबर होगा (कूज जहाजों के लिए लागू 40% छूट के साथ)
- इसके अलावा, कूज जहाजों का निर्माण
ए. प्रति वर्ष 1-50 कॉल पर 10% की छूट मिलेगी।
बी. प्रति वर्ष 51-100 कॉल पर 20% की छूट मिलेगी।
सी. प्रति वर्ष 100से अधिक कॉल पर 30% की छूट मिलेगी।

उपरोक्त पुनर्गठित टैरिफ को 13.08.2021 से 13.08.2022 तक एक और वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। कोचिन पोर्ट ट्रस्ट की मौजूदा दरमान के अनुसार सुरक्षा शुल्क लगाना जारी रहेगा।

यातायात प्रबंधक
१९/०७/२०२१

सेवा में,

- कोचिन स्टीमर एजेंट एसोसिएशन, कोचिन
- कोचिन कस्टम्स ब्रोकर्स एसोसिएशन, कोचिन
- कोचिन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कोचिन -3

प्रति:

अध्यक्ष के निजी सचिव, उपाध्यक्ष के निजी सचिव, सभी विभाग प्रमुख, वरिष्ठ सहा.यातायात प्रबंधक(ईएण्डओ), सहा.यातायात प्रबंधक(सीएफएस)
वरिष्ठ उप निदेशक(ईडीपी) कार्यालय के वेबसाइट में व्यापार सूचना को अपलोड करने हेतु।